कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-20.12.2024

विषय:- टोल प्लाजा में ठेका दिलाने के नाम पर कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर छल पूर्वक पैसा लेने के मामले में वांछित अभियुक्त मनीष कुमार यादव थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 97/2024 धारा 419/420/467/468/406/504/506/471 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र रामतिलक यादव निवासी ग्राम धोबही थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक- 20.12.2024 को समय करीब 07.10 बजे थाना रमती तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 28.02.24 को वादी मुकदमा तथा 03 अन्य सहयोगियों को टोल प्लाजा में ठेका दिलाने के नाम पर कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार कर छल पूर्वक पैसा लेने तथा गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रा.पत्र दिया गया जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि. प्रदीप सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनीष यादव पुत्र रामतिलक यादव निवासी ग्राम धोबही थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

रमती तिराहा के पास थाना चौबेपुर वाराणसी, दिनांक 20.12.2024 समय 07.10 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 97/2024 धारा 419/420/467/468/406/504/506/471भादवि थाना चौबेपुर वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. एसीपी श्री विजय प्रताप सिंह थाना प्रभारी थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 प्रदीप सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अजीत सिंह यादव थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।